



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- CHG/JNG-Champ/Lst-38CHG06002

दिनांक -23.06.2022

प्रेषित- श्री राजिव बाजपाई
मैन रोड, सदर बाजार
पोस्ट- जग्दलपुर, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम -छपभानपुर, तहसील जाग्दलपुर, जिला - जाग्दलपुर में स्थित आपकी छपभानपुर चूना पत्थर खान (क्षेत्रफल 1.376 ha) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 11.05.2022 आप को की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	Following violations are observed against proposals in approved Review of Mining Plan approved on dated 25.06.2020 vide letter no. BST/LST/MPLN-1235/ 2020 for the period from 2020-21 to 2024-25 (i) A crusher has been installed in lease area, against no such proposal in approved Mining Plan. (ii) 100 saplings have been planted during the year 2020-21 against the proposal of 200 saplings.
26 (2)	A yearly report as per the format specified by Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitate works carried out has not been submitted for the year 2020-21.
45(5) (c)	Following information are furnished incorrectly in submitted Annual Return for the year 2020-2021: (i) Surface area utilization (ii) Mineral reserves (iii) Fixed assets
55 (1) (c) (i)	Part time Mining Engineer and Geologist are not appointed

² इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियम 62 के अंतर्गत भूविज्ञानीकों का नियोजन ना करने पर रुपिया 5,00000 का जुर्माना एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने परयाप्ररूप में बर्सिक/ मसिक बिबरनी / में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।

(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **11(1), 26 (2) एवं 55 (1) (c) (i)** का अतिषिष्ट सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

4. अतः आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **45(5)(c)** का अतिषिष्ट सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(देबदुर्लभ दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
Email-com.cz@ibm.gov.in

(देबदुर्लभ दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर